

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)-जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्‍नोई
2. प्रकरण संख्या : 06/2025
3. उनवान : 1. सत्यनारायण दास पुत्र शंकरदास  
2. घनश्याम वास पुत्र शंकर दास  
3. नीरू देवी पत्नी भंवर लाल  
4. रविकान्त पुत्र भंवरलाल  
5. लक्ष्मीकान्त पुत्र भंवरलाल  
6. सुनीता पुत्री भंवर लाल  
7. सुमन पुत्री भंवर लाल  
8. सीमा पुत्री भंवरलाल  
9. निशा पुत्री भंवरलाल  
10. अनुसिया पत्नी गजानन्द  
11. मुकेश पुत्र गजानन्द  
12.. नीलम पुत्री गजानन्द  
13. पूजा पुत्री गजानन्द

समस्त जाति स्वामी निवासी ग्राम बस्सी नागा तहसील  
जोबनेर जिला जयपुर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोबनेर जिला  
जयपुर।

—रेस्पोडेन्ट

4. निर्णय दिनांक : 27-05-2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री मदन लाल कुडी एवं श्री गोपाल लाल बाना अपीलांट की ओर से।  
ब) पैरोकार सरकार रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पेश की गई हैं कि राजस्व ग्राम बस्सीनागा, हाल तहसील जोबनेर जिला जयपुर में स्थित अपीलाधीन भूमि खसरा नम्बर 132 रकबा 10.090 हैक्टेयर राजस्व जमाबन्दी संवत् 2058 से 2061 में अपीलान्ट्स के पूर्वजों के नाम दर्ज रही। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार फुलेरा जिला जयपुर ने अपीलान्ट को उनके हक व अधिकारों से महरूम करते हुये क्षेत्राधिकार बाहर जाकर न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर अपीलान्ट को बिना सूचना, बिना सुने, बिना साक्ष्य सबूत का अवसर दिये अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 447 दिनांक 15/7/2003 को माफ़ी मन्दिर चतुर्भुज जी बाके देह के नाम तस्दीक कर दिया। अपील स्वीकार फरमाई जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फुलेरा जिला जयपुर द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 447 आदेश दिनांक

अतिरिक्त कलेक्टर एवं  
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

15/7/2003 को अपीलान्त के हक व हिस्से तक अपारत किये जाने तथा प्रवृष्टियों को यथावत बहाल रखा जाकर तहसीलदार जोबनेर जिला जयपुर को विरासत अनुसार खातेदारी राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने का निवेदन किया गया है।

अपील के संलग्न अपीलांत ने प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय परिशीमा अधिनियम अपीलाधीन, नामान्तरण संख्या 447 दि० 15/07/2003, खतौनी बन्दोबस्त संवत 2011 से 2011-2029, जमाबन्दी संवत 2044-2077, 2011-2069, खसरा गिरदावरी एवं अन्य संबंधित दस्तावेजात पेश किये हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस तलबी जारी किये गये। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए।

रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 तहसीलदार जोबनेर द्वारा पत्र क्रमांक 1638 दिनांक 17/05/2025 के संलग्न रिपोर्ट पेश की जिसमें अंकित है कि राजस्व ग्राम बस्सीनागा के ख०नं० 132 रकबा 39.18 बीघा बारानी सोयम सेटलमेन्ट खतौनी संवत 2011 से 2029 के खाता सं० 112 के अनुसार कॉलम नं० 4 मे माफी मन्दिर श्री चतुर्भुज व कॉलम संख्या 5 में माधोदास वल्द लालदास हि० 1/4, भूरीदास वल्द इन्द्रदास हि० 1/8, लालूदास वल्द नानूदास हि० 1/4, शंकरदास वल्द रूपदास हि० 1/4, गोपीदास वल्द इन्द्रदास हि० 1/8 कौम साधु सा० देह मु० कदीम के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। खसरा नंबर 132 जमाबंदी संवत 2029 से खातेदार करणदास पुत्र माधोदास लक्ष्मणदास पि० भूरीदास वगै० के नाम आगे राजस्व रिकॉर्ड में रहा। नामा० सं० 447 अनुसार ख० नं० 132 रकबा 39.18 बीघा भूमि श्रीमान शासन सचिव महोदय, राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग के आदेश क्रमांक प.12(22)देव/91 जयपुर दिनांक 09.03.2003 व तहसीलदार फुलेरा के आदेश दिनांक 24.03.2003 अनुसार उक्त खसरा नंबर की खातेदारी से माफी मन्दिर श्री चतुर्भुज जी वाके के नाम दर्ज हुई व वर्तमान जमाबंदी अनुसार भी उक्त खसरा नंबर माफी मन्दिर श्री चतुर्भुज जी वाके के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। ख०नं० 132 संवत 2030 खसरा गिरदावरी में उक्त खसरे में काश्त खातेदार करणदास पुत्र माधोदास वगै० के नाम दर्शायी गई है।

पत्र के संलग्न जमाबंदी संवत 2011 से 2029, नामा० सं० 447 एवं जमाबंदी संवत 2074-2077 की प्रति पेश की है।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नीयत की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि राजस्व ग्राम बस्सीनागा, हाल तहसील जोबनेर जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 132 रकबा 10.090 हैक्टेयर राजस्व जमाबन्दी संवत 2058 से 2061 में अपीलान्त संख्या 1 के 3/8, अपीलान्त संख्या 2 के 1/8, अपीलान्त संख्या 3 लगायत 13 के दादा स्व० करणदास पुत्र माधोदास के नाम हिस्सा 1/4 दर्ज रही। करणदास के वारिस अपीलान्त संख्या 3 लगायत 9 तथा अपीलान्त संख्या 10 लगायत 13 है। करणदास पुत्र माधोदास के हिस्सा 1/4 में फौत होने पर दोनो पुत्र भंवर लाल व गजानन्द के वारिसान का 1/4 में 1/2-1/2 अर्थात् कुल भूमि में 1/8 व भंवर लाल के फौत पर वारिसान अपीलान्त संख्या 3 लगायत 9 का रहा तथा 1/8 हिस्सा गजानन्द के फौत होने पर वारिसान अपीलान्त संख्या 10 लगायत 13 का रहा। अपीलान्त अपने अपने हिस्से की भूमि पर पूर्वजों के समय से निरन्तर काबिज काश्त हैं। खतौनी बन्दोबस्त संवत 2011 से 2029 में अपीलाधीन आराजीयात पर अपीलान्त के पूर्वज माधोदास पुत्र लालदास, शंकर दास वल्द रूपवास व अन्य खातेदार काश्तकार दर्ज रहे। उपरोक्त खतौनी



बन्दोबस्त में दर्ज लालूदास वल्व नानूवास का हिस्सा 1/4 सम्पूर्ण जरिये बख्शीशनामा से अपीलान्त संख्या 1 को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से अपीलान्त संख्या 1 कुल भूमि में 3/8 व अपीलान्त संख्या 2 कुल भूमि में 1/8 तथा अपीलान्त संख्या 3 लगायत 9 का हिस्सा 1/8 तथा अपीलान्त संख्या 10 लगायत 13 का कुल भूमि में हिस्सा 1/8 रहा। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 15/7/2003 से अपीलान्त की खातेदारी समाप्त कर माफी मन्दिर श्री चतुर्भुज वाके देह के नाम दर्ज कर दिया। उक्त आराजीयात संवत् 2011 से 2029 भू-प्रबंध विभाग खतौनी के कॉलम संख्या 5 में माधोदास पुत्र लालदास व अन्य के नाम अंकित थी। राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना तथा मौके पर कब्जा काश्त की जांच किये बिना उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 लागू होने पर खसरा नम्बर 132 जो जागीर रिजम्पशन एक्ट धारा 9 के तहत माधोदास पुत्र लालदास व अन्य के नाम दर्ज की गई। एकतरफा कार्यवाही करते हुये न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार करते हुये उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया हैं। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत है। एकतरफा आदेश व कार्यवाही कानूनन प्रभावहीन हैं। माफी रिज्यूम हो जाने से उपभोक्ता के कॉलम से मन्दिर का नाम हटा दिया गया तथा कृषक कॉलम नम्बर 5 में अंकित माधोदास पुत्र लालदास व अन्य के नाम कृषक खातेदारी के रूप में दर्ज हुआ, तथा अपीलान्त के पूर्वजों के नाम व उनके मृत्यु के बाद अपीलान्त के नाम विधिक प्रक्रिया अपनाकर कानूनन जांच पडताल करने के बाद दर्ज हुआ। कृषक के कॉलम में अंकित माधोदास पुत्र लालदास व अन्य को माफी रिजम्पशन की धारा 9 एवं काश्तकारी अधिनियम की प्रावधानों के अनुसार खातेदार दर्ज कर दिया गया, तथा माफी रिजम्पशन की धारा 10 के अन्तर्गत जमीदार अथवा माफीदार की भूमि जो उनके खुदकाश्त में दर्ज थी वो ही भूमियों उनकी खातेदारी में अंकित की गई। परन्तु यहां पर कॉलम नम्बर 5 में कृषक की जगह माधोदास पुत्र लालदास व अन्य व उसके उपरान्त अपीलान्त के पूर्वज व उनकी मृत्यु उपरान्त अपीलान्त का नाम कृषक के रूप में लिखा हुआ था। 50 वर्ष से अधिक समय बाद खातेदारी अधिकार बिना सूचना एवं बिना सुने बिना साक्ष्य सबूत का अवसर दिये अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त के खातेदारी हक समाप्त करके उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया। राजस्व अभिलेख में कोई न कोई आदेश के आधार पर ही अंकन प्रविष्टि की जाती है और जब तक उक्त आदेशों को निरस्त नहीं करवाया जाता, तब तक उक्त राजस्व अंकन को समाप्त नहीं किया जा सकता। उक्त भूमि 1952 में जागीर उन्मूलन एक्ट के प्रभाव में आने की दिनांक अर्थात् 08/02/1952 का माफी मन्दिर चतुर्भुज जी वाके देह के नाम खुद काश्त भूमि दर्ज नहीं थी। बल्कि सम्वत् 2011 से 2029 में कृषक के कॉलम में माधोदास पुत्र लालदास व अन्य दर्ज रही, जो जागीर एक्ट की धारा 9 एवं आरटीएक्ट के प्रावधानों के अनुसार पालना में भूमि निरन्तर कृषको के नाम दर्ज रही। जो भूमिया राजस्व अभिलेखों में खुद काश्त की दर्ज रही थी, वे समस्त भूमियां राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना जारी कर धारा 21 जागीर एक्ट के तहत अधिकृत कर ली गई थी व धारा 22 जागीर एक्ट के तहत राज्य सरकार के नाम दर्ज कर दी गई। उक्त भूमि मन्दिर की खुदकाश्त में दर्ज नहीं थी। जब अपीलान्त से पूर्वाधिकारी भूमि के काश्तकार थे तो पश्चात्वर्ती इन्द्राज को गलत नहीं माना जा सकता, न ही उक्त इन्द्राज तत्समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा मिलीभगत से किया हुआ माना जावेगा। खुदकाश्त भूमि धारा 2(1) अनुसार जिस व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत रूप में काश्त की जाती है "End cultivated personalnty" व खुदकाश्त मानी जावेगी। जागीर उन्मूलन एक्ट के प्रभाव में



अतिरिक्त कलेक्टर एवं  
अति. जिला मजिस्ट्रेट (प्राथमिक) जयपुर

आने के समय जो कृषक खेती कर रहे थे वे इस भूमि के खातेदार हो गये एवं माफी रिज्यूमेशन के साथ भूमि राज्य सरकार में निहित हो गई। इस प्रकारण में भूमि का स्वामी राजस्थान सरकार हो गई एवं कृषक के कॉलम में अंकित अपीलान्ट से पूर्व के पूर्वधिकारी खातेदार हो गये। नामान्तकरण प्रक्रिया एक फिसकल प्रोसिडिंग होती है, जो मात्र राजस्व लगान वसूल करने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी के हक व अधिकार तय नहीं होते हैं, को नजरअन्दाज करते हुये अपीलान्ट को उनके हक व अधिकारों की कृषि भूमि से उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक कर महरूम कर दिया, जो क्षेत्राधिकार बाहर होने के कारण प्रारंभतः ही प्रभावहीन है। अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश का गरीब काशतकार व्यक्ति है, जिसे कानून का ज्ञान नहीं है। जिसे उक्त आराजीयात के रिकार्ड बाबत हल्का पटवारी से दिनांक 20/3/2025 को राजस्व जमाबन्दी लेने पर राजस्व जमाबन्दी में उनका नाम के स्थान पर माफी मन्दिर चतुर्भुज जी वाके जी सा० देह का नाम दर्ज देखकर एवं जानकारी कर अपीलान्ट ने नामान्तकरण संख्या 447 की नकल प्राप्त की। मूल रूप से शून्य व प्रभावहीन आदेश अपील के प्रकरण में मियाद सीमा लागू नहीं है, तथा ऐसे प्रकरणों में मियाद का बिन्दू का प्रश्न नहीं देखा जाता जहां गैरकानूनी तरीको से वास्तविक हकदार व्यक्ति को उसके हक व अधिकारों से वंचित कर दिया गया हों। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों व विधिक प्रक्रिया व प्रावधानों का उल्लंघन हुआ। अतः न्यायालय को नरम रूख अपनाते हुये डिले कण्डोन कर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 447 आदेश दिनांक 15/7/2003 को अपीलान्ट के हक व हिस्से तक अपास्त किया जावे, तथा प्रवृष्टियों को यथावत बहाल रखा जाकर तहसीलदार जोबनेर जिला जयपुर को विरासत अनुसार खातेदारी राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने हेतु आदेशित किया जावे।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस के समर्थन में राज० सरकार परिपत्र दिनांक 19.01.2015, 25.11.2011, 24.05.2007, 18.09.2019, 11.06.2020 तथा न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 25.08.2021, 06.12.2021, 28.02.2021, 25.08.2021, 06.12.2021, 25.08.2021 एवं इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.11.2024, 31.07.2024, 28.03.2025 तथा न्यायिक दृष्टांत 2012(1) RRT 868 पेश किया है।

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलाधीन भूमि ख० नं० 132 खतानी संवत 2011 से 2029 के अनुसार कॉलम नं० 4 में माफी मन्दिर श्री चतुर्भुज व कॉलम संख्या 5 में माधोदास वल्द लालदास लालदास हि० 1/4, भूरीदास वल्द इन्द्रदास हि० 1/8, लालूदास वल्द नानूदास हि० 1/4, शंकरदास वल्द रूपदास हि० 1/4, गोपीदास वल्द इन्द्रदास हि० 1/8 कौम साधु सा० देह मु० कदीम के नाम दर्ज है। अपीलाधीन नामा० सं० 447 शासन सचिव, राजस्थान सरकार विभाग के आदेश दिनांक 09.03.2003 व तहसीलदार फुलेरा के आदेश दिनांक 24.03.2003 अनुसार उक्त खसरा नंबर की खातेदारी से माफी मन्दिर श्री चतुर्भुज जी वाके के नाम दर्ज हुई। उक्त नामा० राज्य सरकार के आदेश की पालना में तस्दीक किया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट्स की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया तथा अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर धारा 5 के प्रार्थना पत्र के लिए न्यायालय का मत है "अपील विलम्ब से पेश करने के संबंध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र का निर्णय करते समय न्यायालय को विलम्ब

अतिरिक्त कलेक्टर एवं 4  
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

के कारणों पर निर्णय करने के साथ उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जहाँ प्रथम दृष्ट्या किसी पक्षकार के हितों के लिए उसे अवसर दिया जाना न्यायोचित हो, वहाँ विलम्ब के कारणों पर उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए पक्षकार को अपना पक्ष साबित करने हेतु पर्याप्त अवसर देना न्यायसंगत है।”

इसलिए विलम्ब के बिन्दु पर अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

हस्तगत अपील ग्राम बस्सीनागा, हाल तहसील जोबनेर जिला जयपुर में स्थित अपीलाधीन भूमि खसरा नम्बर 132 रकबा 10.090 हैक्टेयर के संबंध में विचाराधीन है। अपीलांत का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार फुलेरा जिला जयपुर ने अपीलान्त को बिना सुने अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 447 दिनांक 15/7/2003 को माफी मन्दिर चतुर्भुज जी वाके देह के नाम तस्दीक कर दिया। जबकि उक्त भूमि अपीलांत एवं उनके पूर्वजों के नाम दर्जशुदा रही है। जमाबंदी संवत् 2011 से 2029 के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबंदी के कॉलम नं 4 में “माफी मन्दिर श्री चतुर्भुज” व कॉलम संख्या 5 में माधोदास वल्द लालदास, भूरीदास वल्द इन्द्रदास, लालदास वल्द नानूदास, शंकरदास वल्द रूपदास, गोपीदास वल्द इन्द्रदास कौम साधु सा० देह मु० कदीम के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 तहसीलदार जोबनेर ने भी उक्त तथ्य का अंकन अपने पत्र दिनांक 12/05/2025 में किया है। जिससे अपीलाधीन भूमि अपीलांत के पूर्वजों नाम दर्ज होने का तथ्य पुष्ट होता है। उक्त खातेदारी अधिकार विरासतन अन्तरण व अन्य अन्तरणों से संवत् 2058-2061 तक जारी रहे। जिससे स्पष्ट है कि उक्त वादग्रस्त भूमि मंदिर की खुदकाशत की भूमि नहीं थी अपितु अपीलांतस एवं उनके पूर्वजों की भूमि रही है।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फुलेरा द्वारा अपीलाधीन नामा० सं० 447 अनुसार ख० नं० 132 रकबा 39.18 बीघा भूमि शासन सचिव महोदय, राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग के आदेश क्रमांक प.12(22)देव/91 जयपुर दिनांक 09.03.2003 व तहसीलदार फुलेरा के आदेश दिनांक 24.03.2003 अनुसार उक्त खसरा नंबर की खातेदारी से माफी मन्दिर श्री चतुर्भुज जी वाके के नाम दर्ज की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.07.2015 जो तारा वगैरह बनाम राजस्थान सरकार वगैरह की विभिन्न याचिकाओं को निस्तारित करते हुए पारित किया गया है, में स्पष्ट निर्णय दिया गया है कि मंदिर या डोली को भूमि के रूप में प्रदत्त जामीर की भूमि, जिसमें मंदिर खुदकाशत नहीं है तथा भूमि पुजारी अथवा सेवायत से भिन्न किसी व्यक्ति की काशतकारी की भूमि है तथा वह व्यक्ति राजस्थान काशतकारी अधिनियम के प्रारम्भ के समय काशतकार के रूप में दर्ज रिकार्ड है, वह खातेदार काशतकार की श्रेणी में होंगे तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के अन्तर्गत उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे तथा राजस्थान सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 24.05.2007 जारी किया जिसमें में भी स्थिति को स्पष्ट किया गया है। इसी प्रकार राजस्थान सरकार राजस्व गुप-6 विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 25.11.2011 में भी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे मामलों में यदि भूमि मंदिर की खातेदारी में दर्ज कर दी गई है तो उसे लिपिकीय त्रुटी माना जाकर दुरुस्त की जाए। उक्त परिपत्र में दिनांक 13/12/1991 को जारी पत्र क्रमांक प. 2(4)राज-4/98/37 के वारे में स्पष्ट किया गया है कि यह पत्र जिस भावना से जारी

अतिरिक्त कलेक्टर एवं 5  
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

किया वह तो ठीक थी परन्तु भू-प्रबन्ध अधिकारियों/राजस्व अधिकारियों ने मूर्ति मंदिर की खातेदारी भूमि में साथ लिखे पुजारी/सेवायतों के नाम हटाने के साथ-साथ उन कृषकों के खातेदारी अंकनों को भी विलोपित कर दिया जिनको राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत वैध रूप से खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत हुए थे। यह कार्यवाही कानूनी रूप से गलत तथा पत्र दिनांक 31/12/91 की मंशा के विरुद्ध की गयी थी। इस प्रकार पत्र दिनांक 31/12/91 की मंशा के विपरीत वैध काश्तकारों का खातेदारी अंकन विलोपित करना कानून संगत नहीं था। साथ ही राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 24/05/2007 में यह व्यवस्था दी गई है कि जागीरी के अधिकरण के समय मन्दिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा कादीमदार आदि के नाम से दर्ज थी, उनमें उन काश्तकारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य होने के कारण ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेंगे।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी विधिक प्रावधान के एवं बिना किसी रेफरेंस के तथा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही माफी मंदिर श्री चतुर्भुज जी वाके देह के नाम दर्ज कर दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण विधि सम्मत नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फुलेरा (हाल तहसील जोबनेर) के अपीलधीन आदेश नामान्तरण संख्या 447 आदेश दिनांक 15/07/2003 को आपीलांट्स की हद तक निरस्त किया जाकर पूर्व प्रविष्टियों को यथावत बहाल रखा जाकर तहसीलदार जोबनेर जिला जयपुर को सूचित किया जावे। अतः अनुसूचित अनुसार खातेदारी राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने हेतु निर्देशित किया जावे।

सुनवाई आज दिनांक 27/5/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली में दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(कुन्तल विश्वाई)

अति. जिला कलक्टर एवं  
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)  
जयपुर

